जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 04.11.2024

“ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप हत्या के मामले में 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व कुल 21,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास से फलस्वरुप आज दिनांक 04.11.2024 को ***मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा ***थाना बेलहरकला*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 268/2022 धारा 302 भादवि व 04/25 आयुध अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त इस्तियाक अहमद पुत्र नसीर निवासी बेलहरखुर्द थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 20,000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभि0 को तीन माह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा। अभि0 उपरोक्त मामले में धारा 04/25 आयुध अधि0 के अन्तर्गत 02 वर्ष के कारावास व 1000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में अभि0 को 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा। अभि0 के दोनो आरोपों की सजाऐं साथ साथ चलेंगी। अभि0 द्वारा जेल में बितायी गयी कोई अवधि उसकी सजा में समायोजित की जायेगी।

दबिश के दौरान वारण्टी 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **मेहदावल पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता टाईगर पुत्र बुधाऊ साकिन भरवलिया पाण्डेय थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री दशरथ, हे0का0 अजय सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 13 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 11 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 114 वाहनों से 1,71,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 04.11.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 114 वाहनों से 1,71,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।